न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

...नाम .... बनाम ....

...ण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
२२-९-२२	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पेशी पे ली गई। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश की जा चुकी है। अब निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:08:47 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुरत सिंह आदि बनाम अमेन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 91** आरटीए मुकदमा नं. **124/2022**

निर्णय दिनांक :- 23.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह बडिंग** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि: माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 6 ओ ए, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 4/3 के मुरब्बा नम्बर 4, 8, 11, 21, 22, 32/1, 32/7, 32/8, की कुल 13.408 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 7.434 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण सुरत सिंह, मनजीत सिंह, सुखदेव सिंह, जोगा सिंह, प्रीतम सिंह, गुरबचन सिंह, भान सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 23.08.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)**}**
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)**}**
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/ 2022/447 दिनांक: 23.08.2022
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)**}**
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:08:47 IST
Reason: SelfAttested